भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1875

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

देश भर में एक पुलिस अधिनियम लागू किया जाना

†1875. श्री प्रभात झा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों में अलग-अलग पुलिस अधिनियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने और उसमें एकरूपता लाने के लिए पूरे देश में केवल एक पुलिस अधिनियम लागू करना अधिक प्रभावी होगा;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पूर्व की सरकारों द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास किया गया था;
(ङ) क्या वर्तमान सरकार द्वारा पूरे देश में केवल एक पुलिस अधिनियम लागू करने संबंधी कोई पहल की जा रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (च) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य का विषय है।

राज्य सरकारों को अपने-अपने पुलिस अधिनियम को लागू करने का अधिदेश प्राप्त है।

इसके अलावा, पुलिस प्रणाली को मजबूत बनाने तथा उसमें एकरूपता लाने हेतु लोगों की आवश्यकताओं के प्रति पुलिस को अधिक जिम्मेवार, प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 1861 के पुलिस अधिनियम को बदलने के लिए वर्ष 2006 में एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार किया है।

मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 के प्रारुप की प्रति दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को सभी राज्यों को विचारार्थ एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तक 17 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने पुलिस अधिनियम अधिनियमित किए हैं अथवा अपने मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया है।

मई, 2013 में, गृह मंत्रालय ने आधुनिक पुलिस प्रणाली की आवश्यकता तथा प्रजातांत्रित मूल्यों के अनुरुप मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 में संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। दिनांक 24 अगस्त, 2015 को बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 के प्रारुप में 'स्मार्ट' पुलिस प्रणाली की अवधारणा के कारकों को भी शामिल किया गया है। मॉडल पुलिस विधेयक, 2015 के प्रारुप को आम लोगों की टिप्पणियों हेतु बी.पी.आर. एण्ड डी. की वेबसाइट पर डाला गया है।

*****